उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग
(जिला राजस्व शाखा)

-: प्रमाण-पत्र :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में हजारीबाग जिला के सदर अंचल अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन योजना हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (एकड़ में)	किस्म भूमि
1.	सदर	सिन्दूर	160	59	2670	2.50	गैरमजरूआ खास जंगल
	कुल					**2.50**	

कुल रकवा **2.50** एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह0/-
उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक ....2636........../रा0 हजारीबाग, दिनांक ....26/10../2016

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजीरबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 में दिए गए निदेश के आलोक में Website में Upload करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को उनके पत्रांक 5421 दिनांक 26.09.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10

उपायुक्त,
हजारीबाग।